न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियलस जज निर्णय इरफान बनाम रूजदार बगै0 किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2022	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नम्बर 247/0.11, 248/0.01, 249/0.09, 255/0.08, 256/0.09, बाके ग्राम नांगल तहसील सीकरी में अवस्थित है। विवादित आराजी सायल व गैर सायल असल की पैतृक आराजी है एवं सम्मलित कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायल एवं गैर सायल असल सम्मिलित रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं आराजी मुत0 का पक्षकारान के मध्य मनबट के आधार पर विभाजन हो गया है यानि अभी तक आराजी मुत0 का कोई विधिवत एवं विधिक तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है। अब गैर सायल असल के मन में बदयान्ती आ गई है और वह बिना विभाजन कराये आराजी मुत0 के हिस्सा विशेष पर निर्माण करना चाहते हैं। और सम्मिलित काश्त में बाधा उत्पन्न करने की नीयत से कभी किसी दिशा में तो कभी किसी दिशा में जबरन काश्त कर सायल के हिस्से की आराजी में मजाहमत मदाख्लत करने की चेष्टा करते है। इस प्रकार गैरसायलान के इस कृत्य से सायल का उक्त रकवे में सम्मिलित काश्त करना संभव नहीं रहा है इसलिए सायल ने गैरसायल से आराजी मुत0 का विभाजन कराने को कहा तो इसने साफ इन्कार कर दिया और ऐलानिया धमकी दी कि मैं बिना विभाजन कराये मनमाने तरीके से आराजी पर कीमती व अच्छी जमीन पर निर्माण बगै0 कर कब्जा करेगे और तुझे कम कीमती जमीन देगे। यदि ऐसा हुआ तो सायल की सख्त हकतलफी होगी, नुकसान अजीम होगा जिसकी पूर्ति किसी धनराशि सं ना हो सकेगी और सायल अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगा। विधि वजह सायल विरूद्ध गैरसायलान रकवा मुत0 की बाबत विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा पाने [illegible] न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2021 को जारी अंत[illegible] निषेधाज्ञा की पुष्टि मूल वाद के निरस्त[illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी[illegible] को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार गुप्ता ने दिनांक 30.03.2021 को जबाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया। अप्रार्थी संख्या 02 जबाब पेश नहीं करना चाहते हैं। अप्राथी ने अपने जबाब में कथन किया कि सायल द्वारा गैरसायल को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि आराजी का मनबट के आधार पर बंटवारा हो गया है वहाँ पुनः सायल को वाद पत्र/प्रार्थना पत्र विभाजन हेतु प्रस्तुत करने का कानूनी रूप से कोई अधिकार हॉसिल नहीं रह जाता इसलिए सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में समस्त आराजी मुत0 को सम्मिलित नहीं किया है केवल मात्र 05 खसरा नम्बरान को दर्ज किया है जबकि उन नंबरान के अलावा अन्य नम्बरान भी राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सायल एवं गैरसायल के मध्य सहकाश्तकार की हैसियत से दर्ज होकर है ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित है कि सायल न्यायालय के समक्ष कतई क्लीन हैण्ड नही आया है तब उस सूरत हाल सायल न्यायालय से कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप पार्ट एण्ड पार्शियल डिवीजन संभव नही है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल प्रार्थना पत्र सायल काबिल खारिज है। सालय एवं गैरसायल ने अपने–अपने हिस्से पर मौके पर निर्माण किया हुआ है अर्थात आराजीयात कृषि भूमि के कार्य नहीं आती जो कि एक तथ्य का बिंदू है जिसके लिए भौतिक रूप से सत्यापन हेतु हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब किया जाना न्याय संगत है। सायल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में केवल मात्र प्रार्थी गैरसायल को ही पक्षकार बनाया है अन्य मुकदमे के सहकाश्तकारान को पक्षकार नही बनाया गया है जो कि विधिक रूप से गलत है, इसलिए प्रार्थना पत्र सायल कानूनी रूप से मेंटेनेविल ना होकर काबिल खारिज है। इसी आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट काबिले खारिज है।

प्रकरण में गत तारीख पेशी को उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। वकील प्रा[illegible] किया कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जिस पक्षकार [illegible]ल प्रभावित होता है उसके विरूद्ध अंतरिम अस्थाई [illegible] जाती है। जबाब में वकील अप्रार्थी [illegible] कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से सिर्फ में पाबंद हूं। प्रार्[illegible] ने अपने प्रार्थन पत्र में कथन किया कि आराजी मुत0 की बाबत पक्षकारान के मध्य मनबट के आधार पर बंटवारा हो गया है। अतः वाद पत्र/प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः दिनांक 26.02.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। जबाब में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि गैर सायल असल खसरा नम्बर 247/0.11, 248/0.01, 249/0.09, 255/0.08, 256/0.09, बाके ग्राम नांगल तहसील सीकरी पर अतिक्रमण कर निर्माण करने की कोशिश की, इसलिए वाद–पत्र/ प्रार्थना पत्र सिर्फ दो ही खसरा नम्बरों की बाबत पेश किया गया है। जब तक किसी आराजी का कानूनन बंटवारा नहीं हो तब तक सभी पक्षकारान का प्रत्येक इन्च पर समान हिस्सा होता है। अतः इन्ही खसरा नम्बर का बंटवारा चाहा गया है। अतः गैरसायालान को इस आशय से पाबंद फरमाया जावे की वे जब तक आराजी का कानूनन बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक आराजी के किसी हिस्से पर निर्माण नहीं करें। अतः मेरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार फरमाया जावे तथा दिनांक 26.02.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की पुष्टि मूल वाद के निस्तारण तक की जावे।

प्रकरण में उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस पर मनन किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट, एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2021 को जारी अंतरिम की पुष्टि मूल–वाद के निस्तारण तक की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल–वाद के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner